

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कटिहार।

पटना, दिनांक- 31/8/18

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम निधि अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार क्षेत्रान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-06/2017-18 के ग्रुप सं0-06 के कार्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Law Land से कटिहार मेडिकल कॉलेज के तरफ बाउन्ड्रीवॉल के सटे हुए ढक्कन सहित नाला का निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, कटिहार का पत्रांक-273 दिनांक-14.06.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1062 दिनांक-24.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम निधि अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार क्षेत्रान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-06/2017-18 के ग्रुप सं0-06 के कार्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Law Land से कटिहार मेडिकल कॉलेज के तरफ बाउन्ड्रीवॉल के सटे हुए ढक्कन सहित नाला का निर्माण कार्य हेतु मान्य 03 निविदाकार (1) श्री विकास कुमार, (2) श्री साजन कुमार यादव एवं (3) श्री शेखर कुमार का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक-28.08.2018 को उपस्थित निविदाकारों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में श्री साजन कुमार यादव का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित श्री साजन कुमार यादव को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 49,33,255/- (उन्नचास लाख तैंतीस हजार दो सौ पचपन) रूपये मात्र से 10% कम अर्थात् राशि 44,39,929/- (चौवालीस लाख उन्नचालीस हजार नौ सौ उन्नतीस) रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, डुडा, कटिहार सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 05 (पाँच) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
10. विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।